

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

दिनांक:-12.07.2024

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ विभाग के लिए आयोग द्वारा आयोजित हॉस्पिटल केयर टेकर (Hospital Care Taker) प्रतियोगी परीक्षा-2022 के अन्तर्गत अभ्यर्थियों की पात्रता की जाँच हेतु दिनांक 11.10.2023 को विचारित सूची जारी की गई थी।

उक्त विचारित सूची में अस्थाई रूप से सम्मिलित अभ्यर्थियों के अधिक संख्या में अपात्र पाये जाने के कारण दिनांक 07.05.2024 एवं 12.06.2024 को अतिरिक्त अभ्यर्थियों को पात्रता की जाँच हेतु विचारित सूची में अस्थाई रूप से सम्मिलित किया गया।

नॉन टी.एस.पी. क्षेत्र के अन्तर्गत उपरोक्तानुसार विचारित सूची में अस्थाई रूप से सम्मिलित अभ्यर्थियों के अधिक संख्या में अपात्र पाये जाने के कारण निम्नलिखित रोल नम्बर वाले अतिरिक्त अभ्यर्थियों को पात्रता की जाँच हेतु विचारित सूची (Provisional List of Candidates for Eligibility Checking) में अस्थाई रूप से सम्मिलित किया जाता है-

रोल नम्बर (नॉन टी.एस.पी. क्षेत्र)

3500037	3500063	3500078	3500092	3500093	3500105
3500124	3500160	3500186	3500217	3500230	3500243
3500249	3500265	3500298	3500327	3500410	3500422
3500448	3500463	3500537	3500547	3500636	3500677
3500687	3500743	3500748	3500767	3500824	3500836
3500868	3500875	3500894	3500908	3500911	3500951
3500970	3500974	3500975	3500980	3501002	3501041
3501116	3501118	3501137	3501180	3501186	3501213
3501254	3501264	3501275	3501504	3501509	3501534
3501536	3501548	3501560	3501633	3501635	3501636
3501645	3501766	3501784	3501788	3501824	3501829
3501969	3502033	3502046	3502074	3502103	3502105
3502108	3502110	3502168	3502223	3502274	3502289
3502311	3502314	3502315	3502419	3502519	3502536
3502566	3502585	3502611	3502623	3502629	3502746
3502796	3502861				

TOTAL CANDIDATES:- 92

यह सूची चयन प्रक्रिया में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता सुनिश्चित किये जाने के क्रम में केवल दस्तावेज सत्यापन के उद्देश्य से है तथा यह चयन सूची/वरीयता सूची नहीं है, अन्तिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की सूची दस्तावेज सत्यापन के पश्चात जारी की जायेगी।

दस्तावेज सत्यापन का कार्य काउन्सलिंग के माध्यम से किया जायेगा। अतः अभ्यर्थी अपना विस्तृत आवेदन पत्र भरकर काउन्सलिंग के समय उपस्थित हों। काउन्सलिंग के विस्तृत कार्यक्रम के सम्बन्ध में आयोग की वेबसाईट एवं अन्य माध्यम से यथासमय पृथक से सूचित कर दिया जायेगा।

आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच विज्ञापन की शर्तों/नियमों के अनुसार की जावेगी। पात्रता की समस्त शर्तें नियमानुसार पूर्ण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की पात्रता

आयोग द्वारा रद्द कर दी जायेगी तथा पात्र पाये गये अभ्यर्थियों में से ही नियमानुसार मुख्य चयन सूची एवं आरक्षित सूची जारी की जायेगी।

(चेतन कुमार त्रिपाठी)
विशेषाधिकारी